



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 जनवरी, 2021

पौष 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 02 / 2021 / 37 / 94-स्टा०नि०-2-2021-700(296)-2017

लखनऊ, 12 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-13

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या एम० 599 / -501 दिनांक 25 मार्च, 1942 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना की प्रस्तर 54 को विलोपित करती हैं।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 02/2021/37/94-Sta. ni.-2-2021-700(296)-2017, dated January 12, 2021.

No. 02/2021/37/94-Sta. ni.-2-2021-700(296)-2017
Dated Lucknow, January 12, 2021

IN exercise of the powers under section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, in partial modification of Government notification no. M. 599/x-501 Dated 25 March, 1942, is pleased to omit the paragraph 54 of the said notification.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 658 राजपत्र-2021-(1305)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2021-(1306)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।